९

नेशनल लोक अदालत जिला जबलपुर खंडपीठ क्र. 18

(पीठासीन अधिकारी –विपिन सिंह भदौरिया,
सदस्य षष्ठम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर)

Registration No.	**MACC 155/2023**
Filling No.	**20346/2022**
CNR No.	**MP20010479332022**
Date Of Institution	**20-12-2022**

कमलेश विरुद्ध रामकुमार बेन व अन्य,

::: अधिनिर्णय :::
(दिनांक 09.03.2024 को पारित)

आज दिनांक 09.03.2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में इस खंडपीठ के समक्ष आवेदक कमलेश पिता सुनील, उम्र–17 वर्ष व अनावेदक बीमा कंपनी **नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** के अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर इस आशय का राजीनामा आवेदन पेश किया कि उनके मध्य 2,**25,000/–रुपये (दो लाख पच्चीस हजार रुपये)** में राजीनामा हुआ है। यह राजीनामा पक्षकारों के हित एवं विधि के अनुरूप है। उभयपक्ष द्वारा स्वस्थ मानसिक दशा में स्वतंत्र सहमति से राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया है। अतः विचारोपरांत राजीनामा आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

1. अनावेदक बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में 2,**25,000/–रुपये (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) दो माह के भीतर षष्ठम** मोटर दुघ टना दावा अधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता क. **519302010004486 IFSC Code. UBIN0551937** में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कर न्यायालय को सूचित करे।
2. दो माह की अवधि में राशि जमा किये जाने में व्यतिकम किये जाने पर बीमा कंपनी अधिनिर्णीत राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।
3. आवेदक के लिये यह अनिवार्य होगा कि अधिनिर्णीत राशि के भुगतान के पूर्व अधिकरण के समक्ष पासबुक की फोटोप्रति एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किये जाने की दशा में ही आवेदक के खाते में **RTGS/NEFT** अंतरित किये जाने के लिये भुगतान आदेश जारी किया जावेगा।
4. **BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY**

PRIVATE LTD. Petitioner(s) VERSUS UNION OF INDIA & ORS LiveLaw 2021 SC 662 एवं **गोहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सड़क कार्पोरेशन** में दिये गये निर्देशानुसार उभयपक्ष अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ई–मेल आई.डी. के माध्यम से डिजीटल हस्ताक्षरित अधिनिर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

5. उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

6. अधिनिर्णय डिजीटल हस्ताक्षर कर नियमानुसार सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

सुश्री विमिषा लखेरा
सदस्य
खंडपीठ क.–18 नेशनल लोक अदालत

विपिन सिंह भदौरिया
पीठासीन अधिकारी
खंडपीठ क.–18 नेशनल लोक अदालत